

तारीख हुक्म	न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा (राज.) बनाम किस्म मुकदमा नं. 64 सन्. 2024 हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
----------------	---

01/10/25 पत्रावली पेश हुई। जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाड़ा द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है। अतः पत्रावली आईन्दा कार्यवाही के लिये दिनांक 2.11.2025 को पेश हो।

शेखर
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

21/10/25 पत्रावली पेश हुई। जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाड़ा द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है। अतः पत्रावली आईन्दा कार्यवाही के लिये दिनांक 4.11.25 को पेश हो।

शेखर
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

4.11.25

पत्रावली पेश हुई। उक्तपत्र अनुपस्थित। प्राची अधिवक्ता को शक्ति आदेश 19.8.25 की प्रतीति विपुली की बंदक रखी सम्पत्ति संनिधित दफ्तर की प्रतीति प्रते पेश करी की गई। प्राची के अन्तिम अन्तर प्रदान किया जाता है। पत्रावली वास्तु सुनवाई हेतु 11.11.25 को पेश हो।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

11.11.2025

पत्रावली पेश हुई। प्राची पक्ष व प्राची अधिवक्ता अनुपस्थित। बार-बार विधिकत अवलत लगाने पर भी प्राची की ओर से कोई हाजिर नहीं आया। प्राची व प्राची के अधिवक्ता का न्यायिक समय तक इन्तजार किया गया। लिखित प्रतीति प्राप्त अंतर्गत धारा 14 विस्तित आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्राची व प्राची अधिवक्ता को अफस हालती, अफस पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार हो।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा